संख्या- 12 /407/24-1-14-34 लोन/86

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2014

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विददुत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-125/म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/232/शा0अंशपूँजी/2013-14, दिनांक 17.02.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि वसूली के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में रूपये 6,24,00,00,000/- (रूपये छः सौ चौबीस करोड़ मात्र) एवं अनुपूरक मॉंग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 2,26,00,00,000/- (रूपये दो सौ छब्बीस करोड़ मात्र) अर्थात कुल रूपये 8,50,00,00,000/- (रूपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या:-3713/24-1-12-34 लोन/86, दिनांक 12-11-2013 द्वारा, रूपये 200,00,00,000/- (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या- 3971/24-1-13-34 लोन/86 टी0सी0, दिनांक 29.11.2013 द्वारा, रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-1/4280/24-1-13-34 लोन/86, दिनांक 26.12.2013 द्वारा एवं रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-08/195/24-1-13-34 लोन/86, दिनांक 05.02.2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। अब अवशेष धनराशि रूपये 2,50,00,00,000/- (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) में से रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा चालान संख्या:- जी-180001, दिनांक 07-02-2014 द्वारा राजकोष में राजस्व प्राप्ति पक्ष के लेखाशीर्षक 0043-00-101-01 में जमा करायी गयी धनराशि के सापेक्ष इतनी ही धनराशि अर्थात रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या:-ई-10-642/दस-2013, दिनांक 23-10-2013 में इंगित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा आहरित कर सम्बंधित विद्युत वितरण कम्पनियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक " 2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय-10-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान -आयोजनेत्तर-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-40/दस-2014, दिनांक 20 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 12/407(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10
5- निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in